

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

(नावीं लोक सभा)

पहला प्रतिवेदन

(28.5.1990 को प्रस्तुत)

मैं, सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का समापति, समिति द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर उसका यह पहला प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

2. समिति की बैठक 24 मई, 1990 को हुई।

3. समिति ने चार सदस्यों के अनुपस्थिति की अनुमति सम्बन्धी आवेदन-पत्रों पर विचार किया। इन आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में समिति की सिफारिशें परिशिष्ट में दी गई हैं।

4. समिति ने श्री अतिन्दर पाल सिंघ, संसद सदस्य (जो तिहाड़ जेल, नई दिल्ली में हिरासत में हैं और जिन्होंने 24 मई, 1990 को सभा की बैठकों

से लातार अनुमस्थिति के 67 दिन पूरे कर लिये थे) के 9 अप्रैल, 1990 को अध्यक्ष महोदय को सम्बोधित पत्र पर भी विचार किया जिसमें उन्होंने यह अनुरोध किया था कि जब तक सरकार द्वारा उन्हें प्रतिदिन सभा में लाने की व्यवस्था नहीं की जाती, उन्हें उपस्थित माना जाये और उनके उसी पत्र को सभा की बैठकों से अनुमस्थित रहने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र माना जाये। समिति की राय थी कि उक्त पत्र को लोक सभा के प्रक्रिया और कार्यसंचालन नियम के नियम 242 के अन्तर्गत आवेदन पत्र नहीं माना जा सकता और यह कि श्री अतिन्द्रपाल सिंघ, संसद सदस्य को नियम 242 के अनुसार अनुमस्थित रहने की अनुमति हेतु आवेदन करने को कहा जाये।

(M-41.611111)

(बबनराव ढाका)
सभापति,

सभा की बैठकों से सदस्यों को अनुमस्थिति
सम्बन्धी समिति।

नई दिल्ली ;

24 मई, 1990

3 ज्येष्ठ, 1912 (शक)

परिशिष्ट

(देखिए प्रतिवेदन का पैरा 3)

क्रमांक	अनुमति की अवधि के लिए आवेदन करने वाले सदस्य का नाम	अनुमति की अवधि, जिसके लिए आवेदन किया गया	कारण	अवधि, जिसके लिए समिति द्वारा अनुमति की सिफारिश की गई
1.	श्री सुदाम दत्तात्रेय देशमुख	23-3-90 से 11-5-90	बीमारी	23-3-90 से 11-5-90 = 50 दिन
2.	श्री जी० कृष्ण (रक) (दो) सत्र की शेष अवधि तक	12-3-90 से 23-4-90 8-5-90 से	अस्वस्थता निर्वाचन क्षेत्र में तूफान	12-3-90 से 23-4-90 = 43 दिन 8-5-90 से 25-5-90 = 18 दिन
3.	श्री ब्रह्म दत्त	2-5-90 से 17-5-90	उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के चुनाव	2-5-90 से 17-5-90 = 16 दिन
4.	श्री रामेश्वर पाटीदार	23-4-90 से 21-5-90	माह की बीमारी	23-4-90 से 21-5-90 = 29 दिन